तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से तथाकथित प्रार्थीया का जाल साजहाब रिकार्ड में दर्ज नहीं होने दिया। व स्वयं के नाम पर होने से [illegible] करने पर आमादा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर। इनकी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में बनती है। अतः ग्राम [illegible] के मिसल [illegible] मौजा [illegible] की आरा० ख० 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1342, 1343, 1344, 1345, 1561/1340 190, 193, 194, 195, 220, 367, 368, 369, 370 381, 490, 491, 492, 65, 66 कुल किता 02 कुल रकबा 9.56 हे० के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज इन्द्राज [illegible] रिकार्ड में यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] के [illegible] हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ